कोचिंग संस्थानक विनियमन हेतु दिशानिर्देश

जनवरी 2024

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

पृष्ठभूमि

1. ई मुद्दा छात्र लोकनिक बीच बढ़ैत आत्महत्याक प्रवृत्ति, आगिसँ दुर्घटना, समुचित सुविधाक कमी केर संग-संग शिक्षण पद्धतिसँ संबंधित मामिलाक विषयमे समय-समय पर सरकारक ध्यानाकर्षण करैत रहल अछि।
2. कोनो निर्धारित नीति वा विनियमन केर अभावमे एखन देशभरि मे निजी कोचिंग संस्थानक संख्या दिनानुदिन बढ़ल जा रहल अछि। एहन संस्थान सभ द्वारा छात्र लोकनिसँ बहुत बेसी शुल्क वसूल करबा सहित संस्थान द्वारा अपनाओल जाएवला कैक आन कदाचारक घटनाक आ अनुचित एवं अनावश्यक तनावक परिणामस्वरूप छात्र सभ द्वारा आत्महत्या करबा एवं आगि आदिसँ भेल दुर्घटनाक कारण अमूल्य जीवनकेँ नष्ट करबा संबंधित घटनाक संबंधमे मीडिया द्वारा व्यापक रूपसँ चर्चा कएल गेल अछि।
3. एहि मुद्दाकेँ कैक बेर संसदमे बहस, चर्चा आ प्रश्नक माध्यमसँ सेहो उठाओल गेल अछि।
4. एहि तथ्यकेँ ध्यानमे राखैत जे +2 स्तर धरिक शिक्षाक विनियमन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारक जिम्मेदारी अछि, एहिलेल एहि संस्थान सभकेँ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार द्वारा उत्तम रूपसँ विनियमित कएल जाइत अछि।
5. एहि मामिलाक संबंधमे स्टूडेंड फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूओआई एवं अन्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालयमे एकटा जनहित याचिका डब्ल्यूपी संख्या 456/2013 दायर कएल गेल छल जाहिमे एक प्रतिवादीक रूपमे शिक्षा मंत्रालय सेहो छल। दिनांक 03.02.2017 केँ एहि जनहित याचिकाक निपटान आन बातक संग-संग एहि निर्देशक द्वारा कएल गेल जे, यद्यपि याचिकामे उठाओल गेल मुद्दा महत्त्वपूर्ण अछि, तथापि ई मूल रूपसँ एक नीतिगत मामिला अछि।
6. निजी कोचिंग संस्थानक विनियमनसँ संबंधित मुद्दाक संदर्भमे संसद आ अशोक मिश्र समिति केर पत्रांक संख्या 32-6/2017 टीएसआई, दिनांक 04.04.2017 केर माध्यमसँ उच्च शिक्षा विभाग राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशसँ एहन विपथगामी संस्थानक हेतु विनियमन बनएबा आ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुरोध कएल गेल। संगहि एहि पत्रक माध्यमे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशसँ छात्र आत्महत्याक समाधानक लेल न्यायमूर्ति रूपनवाल जाँच आयोग द्वारा सुझाओल गेल 12 उपाय पर विचार करबाक अनुरोध कएल गेल छल।
7. एहि संदर्भमे द्रष्टव्य अछि पत्रांक 32-6/2017 दिनांक 14.08.2019, जाहिमे कोचिंग संस्थानक विनियमनक संदर्भमे राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशसँ अनुरोध कएल गेल छल जे ओ उपयुक्त कानूनी ढाँचाक माध्यमसँ अपन अधिकार क्षेत्रमे आबए वला कोचिंग संस्थानक विनियमन हेतु आवश्यक कार्रवाई करए, किएक तँ एहिमे सँ कैक कोचिंग संस्थान विद्यालय स्तर पर संचालित होइत अछि जे कि प्रत्यक्ष रूपसँ राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश सरकारक नियंत्रणाधीन होइत अछि।
8. पुनः पत्रांक 32-18/2023 टीएसआई दिनांक 24.12.2020 केर पत्रांकक संदर्भ दैत 04.04.2017 आ 14.08.2019 केँ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशसँ छात्र लोकनिक सुरक्षा सुनिश्चित करबा आ अनावश्यक शोषणसँ बचबाक लेल उपयुक्त कानूनी ढाँचाक माध्यमसँ एहि कोचिंग संस्थान सभकेँ विनियमित करबाक अनुरोध कएल गेल छल।
9. हितधारक सभक संग विस्तृत परामर्शक बाद 29.07.2020 केँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) केर घोषणा कएल गेल अछि। एनईपी 2020 केर मूल सिद्धान्तमे सँ एक *'आजुक 'कोचिंग संस्कृति' केँ प्रोत्साहित करएवला सतत मूल्यांकनक ठाम पर सीखबाक लेल नियमित रूपसँ रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित कएल जाए।'*
10. एनईपी 2020 केर पैरा 4.36 मे *बोर्ड परीक्षा आ प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक विद्यालयक परीक्षा सभक वर्तमान प्रकृति, आजुक कोचिंग संस्कृति आ एकर नोकसानदायक प्रभावकेँ चिह्नित कएल गेल अछि।*
11. एनईपी 2020 केर पैरा 4.37 मे सुझाव देल गेल अछि जे *बोर्ड आ प्रवेश परीक्षाक वर्तमान पद्धतिमे सुधार कएल जएबाक चाही जाहिसँ कोचिंग कक्षाक उपादेयता नहि रहए।*

12. पैरा 4.38 मे आन बातक संग-संग एहि बातक सुझाव देल गेल अछि जे *बेसी लचीलापन, छात्रक लेल चुनावक विकल्प आ अधिकतम-दू-प्रयास वला आकलन जे मुख्य रूपसँ क्षमताक परीक्षण करैत अछि आ बोर्ड परीक्षाक लेल बेसी व्यवहार्य मॉडल विकसित करैत अछि ओ दबाव आ कोचिंग संस्कृतिकैं कम करैत अछि।*

13. एनईपी 2020 केर पैरा 4.42 मे कहल गेल अछि जे, *'विश्वविद्यालयमे प्रवेश परीक्षाक सिद्धान्त एकसमान होएत। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वला सामान्य योग्यता परीक्षा, संगहि विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला आ व्यावसायिक विषयमे सभ साल कम-सँ-कम दू बेर विशिष्ट सामान्य विषयक परीक्षा लेबाक काज करत। एहि परीक्षामे अवधारणात्मक समझ आ ज्ञानकैं लागू करबाक क्षमताक परीक्षण कएल जाएत, आ एहि परीक्षाक लेल कोचिंग लेबाक आवश्यकताकैं समाप्त करबा पर जोर रहत। छात्र ओहि विषयक चुनाव कए सकत जाहिमे ओ परीक्षा देबामे रूचि राखैत अछि, आ प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक छात्रक व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियोकैं देख सकत आ छात्रक रूचि आ प्रतिभाक अनुसार ओकरा अपन कार्यक्रममे प्रवेश दए सकत।'*

14. हालहिमे जारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखामे कोचिंग संस्कृतिकैं समाप्त करबाक रणनीतिसँ संबंधित मुद्दा सभ पर सेहो विस्तारसँ चर्चा कएल गेल अछि।

15. सरकार द्वारा एनईपी 2020 केर अनुरूप देशक उच्च शिक्षण संस्थान(एचईआई) केर सीटक संख्यामे बढ़ोतरी आ आओर बेसी उच्च गुणवत्ता वला उच्चतर शिक्षण संस्थान सभक स्थापना करबा सन मुद्दाक समाधानक लेल आ विश्वविद्यालयमे प्रवेश पएबाक लेल 13 क्षेत्रीय भाषा सभमे एकटा कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीयूईटी) केर आयोजनक पहल कएल गेल अछि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) विद्यालय सभमे पाठ्यचर्या संबंधी मामिला आ बोर्ड परीक्षासँ संबंधित मामिला पर ध्यान देबाक हेतु बहुत ठोस डेग उठा रहल अछि जे वर्तमान अवांछनीय स्थितिमे सुधार दिस काज करत।

16. एहि क्रममे छात्र सभकैं एनईईटी (यूजी) आ जेईई (मुख्य) प्रवेश परीक्षाक तैयारी हेतु अभ्यास करबाक लेल एवं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देबाक हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्च गुणवत्ता एकटा निःशुल्क मोबाइल एप लॉन्च केलक अछि।

17. कोनो कोचिंग संस्थान/निजी उच्च शिक्षण संस्थानक द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करएबाक स्थितिमे ओकर विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 केर प्रावधानक तहत आवश्यक कार्रवाई करबाक लेल एहि विषयकैं उपभोक्ता मामिला विभागक समक्ष सेहो उठाओल गेल अछि।

18. शिक्षा समवर्ती सूचीक अंतर्गत अबैत अछि, अतः राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार द्वारा सेहो एहि मामिला पर सक्रिय कार्रवाई करबाक आवश्यकता अछि।

19. कैक राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश उपयुक्त कानूनी ढाँचाक माध्यमसँ अपन-अपन क्षेत्राधिकारमे आबए वला निजी कोचिंग संस्थान आ ट्यूशन कक्षाकैं विनियमित करबाक हेतु पहल केलक अछि, जेना बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण आ विनियमन) अधिननयम, 2010 [बिहार अधिनियम 17, 2010], गोवा कोचिंग क्लासेस (विनियमन) अधिनियम, 2001 (2001 केर गोवा अधिनियम 27), उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 [यूपी अधिनियम संख्या 5, 2002], कर्नाटक ट्यूटोरियल संस्थान (पंजीकरण आ विनियमन) नियम, 2001 [कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (1995 केर कर्नाटक अधिनियम 1) केर धारा 145 केर उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिक प्रयोगसँ तैयार कएल गेल], मणिपुर कोचिंग संस्थान (नियंत्रण आ विनियमन) अधिनियम, 2017(2017 केर अधिनियम संख्या 8) आदि केर धारा 142 केर उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त। राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण आ विनियमन) विधेयक 2023 सेहो सार्वजनिक क्षेत्रमे अछि आ हालहिमे कोचिंग संस्थानमे नामांकित छात्रक तनावकैं कम करबा आ मानसिक स्वास्थ्यमे सुधार करबाक हेतु राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2023 कैं दिशानिर्देश जारी कएल गेल अछि।

20. यद्यपि निजी कोचिंग संस्थान, अनधिकृत निजी कोचिंग संस्थानक संख्यासँ संबंधित मुद्दा सभक समाधान हेतु किछु महत्त्वपूर्ण डेग उठाओल गेल अछि, तथापि, एकरा लेल दिशानिर्देश/नीति तैयार करबाक आवश्यकता अछि जकरा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उपयुक्त कानूनी ढाँचाक माध्यमसँ कार्यान्वियन हेतु अपना सकैत अछि।

21. केन्द्र सरकार निजी कोचिंग संस्थानसँ संबंधित मुद्दाक समाधान करबाक हेतु उचित कानूनी ढाँचाक माध्यमसँ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अपनाओल गेल मॉडल दिशानिर्देश/नीति तैयार करबाक प्रस्ताव करैत अछि।

1. शीर्षक

कोचिंग संस्थानक पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशानिर्देश 2024

2. दिशानिर्देशक उद्देश्य

कोनो अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा वा शैक्षिक सहायतामे छात्र लोकनिकेँ उत्तम मार्गदर्शन आ सहायताक लेल कोचिंग संस्थानक विनियमन हेतु दिशानिर्देश प्रदान करब।

3. दिशानिर्देशक आवश्यकता

(i) कोचिंग संस्थानक पंजीकरण आ विनियमन हेतु रूपरेखा प्रदान करब।

(ii) कोचिंग संस्थान चलएबाक लेल न्यूनतम मानक आवश्यकताक सुझाव देब।

(iii) कोचिंग संस्थानमे नामांकित छात्र सभक हितक रक्षा करब।

(iv) छात्र लोकनिक समग्र विकासक लेल कोचिंग संस्थानकेँ सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि पर सेहो ध्यान केन्द्रित करबाक सलाह देब।

(v) छात्र लोकनिक कल्याण हेतु कैरियर मार्गदर्शन आ मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करब।

4. परिभाषा

(i) 'अपीलीय प्राधिकारी' सँ तात्पर्य संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी अछि;

(ii) 'कोचिंग' सँ तात्पर्य अछि कोनो शाखामे 50 सँ बेसी संख्यामे छात्र लोकनिकेँ प्रदान कएल जाएवला ट्यूशन, निर्देश वा मार्गदर्शन। मुदा एहिमे परामर्श, खेल, नृत्य, नाटक सहित आन रचनात्मक गतिविधि सभ शामिल नहि अछि।

(iii) 'कोचिंग संस्थान' सँ तात्पर्य कोनो व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित वा प्रशासित संस्थान अछि जतए 50 सँ बेसी छात्र लोकनिक लेल कोनो विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय स्तर पर कोनो अध्ययन कार्यक्रम वा प्रतियोगी परीक्षाक लेल कोचिंग वा छात्र लोकनिकेँ शैक्षणिक सहायता प्रदान कएल जाइत अछि।

(iv) 'सक्षम प्राधिकारी' सँ तात्पर्य संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी अछि;

(v) 'सरकार' सँ तात्पर्य अछि उचित क्षेत्राधिकार वला केन्द्र सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार;

(vi) 'संस्था' सँ तात्पर्य केन्द्र सरकार वा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारक अधिनियमक तहत स्थापित विद्यालय अथवा आन शैक्षणिक संस्थान कोनो बोर्ड सँ संबद्ध, वा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित वा मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालय वा सह-संबद्ध महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा एकर अंतर्गत स्थापित शैक्षणिक संस्थान सभ अछि;

(vii) 'व्यक्ति' सँ तात्पर्य कोनो व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह, कार्पोरेट निकाय, न्यास, कंपनी, समाज वा संस्थासँ अछि;

(viii) 'मालिक' सँ तात्पर्य अछि कोनो कोचिंग संस्थानक मालिक, संयुक्त मालिक जे पंजीकरण चाहैत अछि वा पंजीकृत अछि;

(ix) 'अनुशिक्षक' सँ तात्पर्य अछि ओ व्यक्ति जे कोनो कोचिंग संस्थानमे छात्रकँ मार्गदर्शन वा प्रशिक्षण दैत अछि। एहिमे विशेष अनुशिक्षक सेहो शामिल अछि।

(x) 'विश्वविद्यालय' सँ तात्पर्य अछि कोनो केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम वा राज्य अधिनियम द्वारा वा ओकरा द्वारा स्थापित वा निगमित विश्वविद्यालय, एकरा अंतर्गत ओहनो संस्थान शामिल अछि जेकरा संबंधित विश्वविद्यालयक परामर्शसँ यूजीसी अधिनियमक तहत मान्यता देल गेल हो।

5. कोचिंग संस्थानक पंजीकरण

(i) ओहने व्यक्ति कोचिंग केर स्थापना, संचालन, प्रबंधन वा रखरखाव कए सकैत अछि जे दिशानिर्देशक अनुरूप संस्थाक पूर्व पंजीकरण कए लेने होथि।

(ii) कोनो कोचिंग संस्थान जे दिशानिर्देशक कार्यान्वयनक तिथिसँ अस्तित्वमे अछि, दिशानिर्देशक कार्यान्वयन तिथिसँ तीन मासक अवधिक भीतर पंजीकरण हेतु आवेदन करताह।

(iii) कोचिंग संस्थानक पंजीकरण हेतु आवेदन ओहि सक्षम पदाधिकारीक समक्ष प्रस्तुत कएल जाएत जिनक स्थानीय अधिकार क्षेत्रमे ओ कोचिंग संस्थान अवस्थित अछि, दस्तावेजक संग शुल्क ओहि क्षेत्रक संबंधित सरकार द्वारा निर्दिष्ट कएल जा सकैछ।

(iv) कोनो कोचिंग संस्थानक एक सँ बेसी शाखा होएबाक स्थितिमे प्रत्येक शाखाकँ अलग कोचिंग संस्थान मानल जाएत आ प्रत्येक शाखाक पंजीकरण हेतु अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करब आवश्यक होएत।

(v) सक्षम प्राधिकारी, कोचिंग संस्थानक पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पर तीन मासक भीतर की तँ निर्धारित प्रपत्रमे पंजीकरण प्रदान करताह वा पंजीकरण अस्वीकार करताह, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकरणक कारण लिखित रूपमे देल जाएत।

बशर्ते कि संबंधित व्यक्तिकँ सुनवाईक उचित अवसर देने बिना पंजीकरण अस्वीकरणक आदेश पारित नहि कएल जाएत।

(vi) पंजीकरण प्रमाणपत्रक वैधताक अवधि संबंधित सरकार द्वारा तय कएल जाएत, जाधरि कोनो कारणसँ ओकरा पहिने रद्द नहि कएल गेल हो।

(vii) प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग संस्थानकँ पंजीकरण प्रमाणपत्रक नवीकरण हेतु पंजीकरणक समाप्तिक तिथिसँ दू मास पहिने सक्षम प्राधिकारीक समक्ष शुल्क आ दस्तावेजक संग एहन प्रपत्र प्रस्तुत करबाक होएत जे संबंधित सरकार द्वारा निर्दिष्ट कएल गेल हो।

(viii) सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्रमे पंजीकरणक नवीकरण हेतु भुगतेय शुल्कक संग प्राप्त आवेदन पर पंजीकरणक अवधि समाप्तिक पूर्व आवेदन पर नवीकरण हेतु निर्णय ल' सकैत छथि आ नवीकरण कए सकैत छथि। अस्वीकरणक स्थितिमे पंजीकरण समाप्तिक अवधि केर पूर्व आवेदककँ अस्वीकरणक कारण लिखित रूपमे देल जा सकैछ।

बशर्ते कि संबंधित व्यक्तिकँ सुनवाईक उचित अवसर देने बिना पंजीकरण अस्वीकरणक आदेश पारित नहि कएल जाएत।

(ix) संबंधित सरकार कोचिंग संस्थानक पंजीकरणक सुविधा हेतु आभासी रूपमे एकटा न्यूनतम मानव इंटरफेस वेब-पोर्टल/ऑनलाइन तंत्र विकसित करत।

6. पंजीकरणक शर्त

(i) कोनो कोचिंग संस्थान सभकैं-

(a) स्नातक उपाधिसँ कम योग्यता वला शिक्षकक नियुक्ति नहि करबाक चाही।

(b) माता-पिता/ छात्रकैं कोचिंग संस्थानमे नामांकन हेतु उत्तम रैंक वा उत्तम अंक प्राप्तिक गारंटी सन भ्रामक वचन नहि देल जएबाक चाही।

(c) 16 वर्षसँ कम आयुवर्गक छात्रक नामांकन नहि करबाक चाही अर्थात् छात्रक नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षाक बादहि कएल जा सकैत अछि।

(d) कोचिंग संस्थानक गुणवत्ता वा ओकरा द्वारा देल जाएवला सुविधा वा एहन कक्षामे भाग लेबएवला छात्र द्वारा प्राप्त परिणामक संबंधमे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपसँ कोनो दावासँ संबंधित कोनो भ्रामक विज्ञापनकैं प्रकाशित करएबा वा प्रकाशनमे भाग नहि लेबाक चाही।

(e) जँ एहिमे प्रति छात्र न्यूनतम स्थान आवश्यकतासँ कम अछि तँ पंजीकरण नहि हेबाक चाही।

(f) कोनो एहन व्यक्ति जेकर नैतिक पतन भेल हो वा ओ कोनो अपराधक लेल दोषी सिद्ध कएल गेल हो, तँ ओकर सेवा नहि लेल जएबाक चाही।

(g) जाधरि ओकरा लग एहि दिशानिर्देशक आवश्यकताक अनुसार परामर्श प्रणाली नहि होमए, पंजीकरण नहि हेबाक चाही।

(ii) कोचिंग संस्थानक अपन एकटा वेबसाइट होएत जाहिमे शिक्षकक योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, ओकर पूरा हेबाक अवधि, छात्रावासक सुविधा (जँ कोनो हो), लेल जाएवला शुल्कक विवरण, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, संस्थानसँ कोचिंग लेबएवला छात्रक संख्या आ अंततः उच्च शिक्षण संस्थानमे प्रवेश लेबामे सफल छात्रक संख्या आदिक उल्लेख रहबाक चाही।

(iii) कोचिंग संस्थानकैं स्थानीय क्षेत्राधिकारमे लागू अलग पंजीकरण सहित विभिन्न कानून, नियम, विनियम आदिक पालन करबाक चाही।

7. पंजीकरणक लेल आवेदनक संग संलग्न होमए वला दस्तावेज सभ

(i) कोचिंग संस्थानक मालिक द्वारा संस्थानक पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदनक संग एकटा शपथ-पत्र संलग्न कएल जाएत जे-

(a) ओ मात्र 'पंजीकृत कोचिंग संस्थान' शब्दक उपयोग करत आ कोनहुँ साइन बोर्ड वा कोनो प्रॉसपेक्टस वा पत्राचार वा कोनहुँ प्रकारक संचार वा कोनो स्थान पर 'मान्यता प्राप्त' वा 'अनुमोदित' शब्दक उपयोग नहि करत;

(b) ओहन छात्र जे कोनो विद्यालय अथवा संस्थानमे पढ़ि रहल अछि, ओकर विद्यालयक कक्षावधिमे कोचिंग कक्षा केर संचालन नहि करत;

(c) वेबसाइट आ कोचिंग संस्थानक परिसरमे प्रमुख स्थान पर सूचना-पट्ट पर शिक्षकक योग्यता, कोचिंग कक्षाक समय सारणी, लेल गेल शुल्क आ कोचिंग कक्षाक संबंधमे निर्दिष्ट सामान्य जानकारी आवश्यक रूपसँ प्रदर्शित कएल जाएत;

(d) ओहि कोचिंग संस्थानमे नियुक्त शिक्षक नैतिक रूपसँ पतित नहि अछि आ ने ओकरा कोनो अपराधक लेल दोषी सिद्ध कएल गेल अछि, संगहि शिक्षकक रोजगारमे कोनो प्रकारक बदलावक संबंधमे सक्षम प्राधिकारीकैं अविलंब सूचित कएल जाएत;

(e) ओ कोचिंग कक्षामे प्रवेश लेबए वला छात्रक निर्दिष्ट संख्यासँ संबंधित शर्तक पालन करत;

(f) ओ एहि दिशानिर्देशक आन नियम आ शर्त सभक पालन करत।

(ii) पंजीकरण नवीकरण हेतु आवेदनक संग चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा लेखापरीक्षित खाता विवरणक एक प्रति संलग्न कएल जाएत।

8. शुल्क

(i) विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्याक लेल उचित ट्यूशन शुल्क लेल जएबाक चाही आ लेल गेल शुल्कक रसीद उपलब्ध कराओल जएबाक चाही।

(ii) कोचिंग संस्थानकेँ विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, ओकर पूरा हेबाक अवधि, कक्षाक संख्या, व्याख्यान ट्यूटोरियल, छात्रावासक सुविधा (जँ कोनो हो), लेल जाएवला शुल्कक विवरण, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी आदिक उल्लेख करैत एकटा प्रोस्पेक्टस जारी करबा होएत। ई सभ विवरण भवन परिसरमे प्रमुख आ सुलभ स्थान पर सेहो प्रदर्शित कएल जाएत।

(iii) प्रोस्पेक्टस, नोट्स आ आन सामग्री कोचिंग संस्थान द्वारा अपन नामांकित छात्रकेँ बिना कोनो अतिरिक्त शुल्कक प्रदान कएल जाएत।

(iv) जँ छात्र द्वारा पाठ्यक्रमक पूरा शुल्क जमा कए देल गेल अछि आ ओ निर्धारित अवधिक बीचहिमे पाठ्यक्रम छोड़ि रहल अछि तँ एहन स्थितिमे छात्रक शेष अवधिक शुल्कमे सँ आनुपातिक आधार पर 10 दिनक भीतर शुल्क वापसी कए देल जाएत। जँ छात्र कोचिंग संस्थानक छात्रावासमे रहैत हो तँ छात्रावास शुल्क आ मेस शुल्क आदि सेहो वापस कए देल जाएत।

(v) कोनहुँ परिस्थितिमे ओ शुल्क जकरा आधार पर कोनो विशेष पाठ्यक्रम आ अवधिक लेल नामांकन कएल गेल अछि, पाठ्यक्रमक अवधिक दौरान नहि बढ़ाओल जाएत।

9. बुनियादी आवश्यकता सभ

(i) कोचिंग संस्थानकेँ अपन मूल संरचनाक अंतर्गत एक कक्षा/बैचमे प्रत्येक छात्रक लेल न्यूनतम एक वर्गमीटर क्षेत्र आवंटित करबाक होएत। नामांकित छात्रक संख्याक समानुपातमे पर्याप्त बुनियादी ढाँचा होएत।

(ii) कोचिंग संस्थानक भवनमे अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड एवं अन्य मानक केर पालन करबाक होएत एवं सरकार द्वारा निर्धारित मानकक अनुरूप उपयुक्त अधिकारीसँ अग्नि आ भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करबाक होएत।

(iii) छात्रक सहायता हेतु कोचिंग संस्थानमे प्राथमिक चिकित्सा किट आ चिकित्सकीय सहायता/उपचारक सुविधा राखबाक होएत। अस्पताल, आपातकालीन सेवाक लेल चिकित्सक, पुलिस हेल्पलाइन आदि सभ आवश्यक सेवाक सूची प्रदर्शित करब आ छात्रकेँ एकरा संबंधमे जानकारी देबाक होएत।

(iv) कोचिंग संस्थानक भवन पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत, हवादार होएत आ भवनक प्रत्येक कक्षमे पर्याप्त प्रकाशक व्यवस्था करबाक होएत।

(v) संस्थानक सभ छात्र आ कर्मचारी लोकनिक लेल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करएबाक होएत।

(vi) कोचिंग संस्थानमे जतए कतहुँ आवश्यक हो, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा लगएबाक होएत आ सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद राखबाक होएत।

(vii) छात्र लोकनिकेँ शिकायत दर्ज करएबाक लेल कोचिंग संस्थानमे एक शिकायत पेटी वा रजिस्टर राखबाक होएत। कोचिंग संस्थानमे छात्र लोकनिक शिकायत/परिवादक निवारण हेतु एकटा समिति बनएबाक होएत।

(viii) कोचिंग संस्थान भवन परिसरमे पुरुष आ महिला लोकनिक लेल अलग-अलग शौचालयक व्यवस्था करबाक होएत।

10. पाठ्यचर्चा

10.1 कक्षा सभ

(i) कोचिंग संस्थान सूचीपत्रमे निर्धारित समयमे कक्षा पूर्ण करबाक प्रयास करत।

(ii) संस्थान/विद्यालयमे पढ़ि रहल ओहन छात्र लोकनिक लेल कोचिंग कक्षा सभ ओकर संस्थान/विद्यालयक समयक दौरान आयोजित नहि कएल जाएत, जाहिसँ एहन संस्थान/विद्यालयमे ओकर नियमित उपस्थिति प्रभावित होमए आ आभासी विद्यालयसँ सेहो बचल जा सकए।

(iii) जाहि छात्रकेँ अतिरिक्त शैक्षिक सहायताक अवश्यकता होमए, ओकरा सुधारात्मक वा सहायक कक्षा प्रदान कएल जएबाक चाही।

(iv) पाठ्यचर्या/कक्षा एहि प्रकारेँ बनाओल जएबाक चाही जे छात्र लोकनिकेँ आराम करबा आ स्वस्थ रहबामे सहायक होमए, एहि प्रकारेँ ओकरा सभ पर अतिरिक्त दबाव नहि बनएबाक चाही।

(v) कोचिंग संस्थानकेँ छात्र एवं शिक्षक लेकनिकेँ साप्ताहिक अवकाश देबाक होएत।

(vi) साप्ताहिक अवकाशक दिन कोनो प्रकारक मूल्यांकन परीक्षा/ परीक्षाक आयोजन नहि करबाक होएत।

(vii) कोचिंग संस्थान संबंधित क्षेत्रक महत्त्वपूर्ण आ लोकप्रिय पाबनि-त्योहार पर छुट्टीकेँ एहि तरहेँ व्यवस्थित करत जे छात्र लोकनि अपन परिवारसँ जुड़ल रहए आ ओकरा सभकेँ भावनात्मक प्रोत्साहन सेहो भेटैत रहए।

(viii) कोचिंग संस्थान एहि तरहेँ कक्षा संचालित करत जे ओ कोनो छात्रक लेल अतिशय आ एक दिनमे 5 घंटासँ बेसीक नहि होमए आ कोचिंग केर समय भोरमे ने तँ बहुत जल्दी होमए आ ने साँझकेँ बहुत देर धरि।

(ix) कोचिंग संस्थानक छात्र लोकनिक समग्र विकास आ संज्ञानात्मक क्षमताक विकास हेतु सहपाठ्यचारी क्रियाकलाप कक्षा आयोजित करत। कोचिंग संस्थानकेँ मुख्य विषय पढ़एबाक संग-संग शिक्षक, कर्मचारी आ सभ छात्रक लेल जीवन कौशल, वैज्ञानिक प्रकृति आ साक्ष्य आधारित सोच, सृजनात्मक एवं अभिनवता, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक स्वास्थ्य, आयु-सम्मत चुनौती, अभिप्रेरणा, सहयोग एवं सामूहिक कार्य, समस्या समाधान एवं तार्किक विचार, नीतिपरक एवं नैतिक तर्कशक्ति, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यक ज्ञान आ अभ्यास, व्यक्तिगत सुरक्षा (लिंग संवेदीकरण एवं दुर्व्यवहार रोकथाम), मौलिक कर्त्तव्य, नागरिकता मूल्य एवं कौशल, भारतीय ज्ञान, पर्यावरणीय जागरूकता, आरोग्यता एवं स्वच्छता पर परामर्श सत्रक सेहो आयोजन कएल जएबाक चाही।

10.2 कोचिंग संस्थानक आचार संहिता

(i) प्रत्येक कक्षा/बैचमे नामांकित होमए वला छात्रक संख्याकेँ सूचीपत्रमे स्पष्ट रूपसँ उल्लेख करए पड़त एवं ओकरा वेबसाइट पर प्रकाशित करबाक होएत। कोनहुँ स्थितिमे पाठ्यक्रमक अवधिक दौरान कक्षा/बैचमे एहन नामांकनमे वृद्धि नहि कएल जाएत।

(ii) प्रत्येक कक्षामे स्वीकृत छात्रक संख्या एक स्वस्थ शिक्षक-छात्र अनुपात बनाकए राखबा आ शिक्षक आ परामर्शदाता लोकनिक संग संबंध बनएबाक लेल बेसी-सँ-बेसी अवसर उत्पन्न करबाक आवश्यकताक अनुरूपहिं भ' सकैत अछि। ई सुनिश्चित कएल जएबाक चाही जे शिक्षकसँ आ छात्र लोकनिक स्क्रीन/श्यामपट्ट धरि सुगम दृश्यता आ पहुँच होमए।

(iii) कोचिंग संस्थान 16 वर्षसँ कम आयुवर्गक छात्रक नामांकन नहि करत अर्थात् छात्रक नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षाक बादहि कएल जा सकैत अछि।

(iv) छात्र लोकनिकेँ पाठ्यक्रममे नामांकनसँ पहिने परीक्षाक कठिनाई, पाठ्यक्रम, तैयारीक गहनताक स्तर आ छात्रकेँ आवश्यक प्रयासक संबंधमे नीक जकाँ अवगत कराओल जाएत।

(v) छात्र लोकनिकेँ शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक जीवन, वास्तविकता आ विद्यालय स्तरक परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाक तैयारीक बीच अंतरक संबंधमे जागरूक कएल जाएत।

(vi) इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थान सभमे प्रवेशक विकल्पक अतिरिक्त छात्र लोकनिकैं आन पेशेवर विकल्पक जानकारी सेहो प्रदान कएल जाएत, जाहिसँ ओ अपन भविष्यकैं ल' कए तनावग्रस्त नहि होमए आ वैकल्पिक पेशाक लेल नव विकल्पकैं चुनि सकए।

(vii) छात्र लोकनिक क्षमताक आकलन करबाक हेतु प्रवेश वा मौखिक परीक्षाक आयोजन कएल जा सकैछ। छात्र लोकनिक क्षमता आ रूचिक अनुरूप कोचिंग संस्थान छात्रक माता-पिताकैं ओकर यथार्थवादी उमेद आ क्षमताकैं बताकए आगूक मार्ग प्रशस्त कए सकैत अछि।

(viii) कोचिंग संस्थानकैं छात्र आ अभिभावककैं एहि बातसँ अवगत करएबाक होएत जे मात्र कोचिंग संस्थानमे प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि संस्थानमे प्रवेश वा प्रतियोगी परीक्षामे सफलताक गारंटी नहि अछि।

(ix) कोचिंग संस्थानकैं मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर लोकनिक सहयोगसँ समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्यक संबंधमे कार्यशाला एवं संवेदीकरण सत्रक आयोजन करबाक चाही।

(x) कोचिंग संस्थानक छात्र आ अभिभावक लोकनिक बीच शिक्षण, पाठ्यक्रमक समय-सीमा आ कोचिंग संस्थानमे उपलब्ध सुविधाक संबंधमे जागरूक करबाक चाही। ओकरा अपन बच्चा पर अनावश्यक मानसिक दबाव आ अपेक्षाक बोझसँ होमए वला नकारात्मक प्रभावक संबंधमे परामर्श देल जा सकैछ।

(xi) कोचिंग संस्थान अपना द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षाक परिणामकैं सार्वजनिक नहि करत। मूल्यांकन परीक्षा परिणामकैं गोपनीय राखैत ओकर उपयोग मात्र छात्र लोकनिक नियमित प्रदर्शन विश्लेषणक लेल करत आ जाहि छात्रक शैक्षणिक प्रदर्शन खराप भ' रहल अछि, ओकरा एहि दिशानिर्देशक प्रावधानक अनुसार सुविधा प्रदान करबाक होएत।

11. परामर्शदाता एवं मनोवैज्ञानिक सहायता

(i) कोचिंग संस्थानकैं उच्च प्रतिस्पर्धा आ शैक्षणिक दबावक कारणकैं ध्यानमे राखैत, ओकर मानसिक भलाईक लेल डेग उठबैत बिना कोनो अनुचित दबावक अपन छात्र लोकनिक हेतु कक्षा संचालित करबाक चाही। संगहि, संकट आ तनावपूर्ण स्थितिमे छात्रकैं लक्षित आ अनवरत सहायता प्रदान करबा एवं तात्कालिक हस्तक्षेपक लेल तंत्र स्थापित करबाक चाही।

(ii) सक्षम प्राधिकारी ई सुनिश्चित करबाक लेल ई डेग उठा सकैत अछि जे कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित कएल जाए आ ई छात्र आ अभिभावकक लेल सुगमतासँ उपलब्ध होमए। मनौवैज्ञानिक, परामर्शदाताक नाम आ हुनका द्वारा प्रदत्त सेवाक समयक जानकारी सभ छात्र आ अभिभावक लोकनिकैं देल जा सकैछ। छात्र आ अभिभावकक प्रभावी मार्गदर्शन आ परामर्शक सुविधा हेतु कोचिंग संस्थानमे प्रशिक्षित परामर्शदाताक नियुक्ति कएल जा सकैछ।

(iii) कोचिंग संस्थान द्वारा मानसिक तनाव आ अवसादक समाधान हेतु छात्र लोकनिकैं परामर्श देबा आ मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करबाक लेल परामर्शदाता आ अनुभवी मनोवैज्ञानिककैं शामिल करबाक लेल प्रोत्साहित कएल जा सकैत अछि।

(iv) छात्र लोकनिक अभिरुचि, योग्यता एवं क्षमताक आकलन हेतु कैरियर परामर्शदाताकैं शामिल कएल जा सकैत अछि, आ तदनुसार सर्वोत्तम कैरियर विकल्प चुनबा हेतु यथार्थवादी अपेक्षा वला छात्र आ ओकर माता-पिताकैं मार्गदर्शन एवं परामर्श देल जा सकैत अछि।

(v) कोचिंग संस्थान द्वारा मानसिक स्वास्थ्य आ तनाव केर रोकथाम पर माता-पिता, छात्र आ शिक्षक लोकनिक हेतु नियमित कार्यशाला एवं जागरूकता सप्ताहक आयोजन कएल जा सकैत अछि। एकरा स्वास्थ्य, उत्तम पोषण, व्यक्तिगत आ सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रबंधन आ प्राथमिक चिकित्सामे बुनियादी प्रशिक्षणक संगहि-संग शराब, तमाकू आ आन दवाई केर दुष्प्रभावक की वैज्ञानिक व्याख्या पर सेहो केंद्रित हेबाक चाही। छात्र लोकनिक मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन आ आत्म-चिंतनक जिम्मेदारी केर संदर्भमे संस्थान द्वारा

माता-पिताक लेल आयोजित अंतःक्रिया सत्रमे सकारात्मक देखभाल केर मामिला पर सेहो जोर देल जएबाक चाही।

(vi) शिक्षक लोकनिकैँ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देल जा सकैछ जाहिसँ ओ छात्र लोकनिकैँ ओकर सुधार-क्षेत्रक संबंधमे प्रभावी आ संवेदनशील तरीका सँ जानकारी दए सकए।

(vii) परामर्शक भागक रूपमे कोचिंग संस्थानकैँ एकटा शिष्ट समूह स्थापित करबाक चाही। कोचिंग संस्थान परिचर्चा, प्रतियोगिता आ परियोजना सभमे समूह-आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास आयोजित कए सकैत अछि।

(viii) छात्र लोकनिक शंका समाधान कक्षामे पढ़ाओल गेल शिक्षक लोकनि द्वारा कएल जाए, जाहिसँ छात्र लोकनिकैँ संतुष्टिक अनुभव होमए।

(ix) कोचिंग संस्थान मानसिक स्वास्थ्यकैँ बढ़ावा देबाक हेतु निम्मवर्णित रूपरेखाक पालन करत:

मानसिक स्वास्थ्य संवर्धनक रूपरेखा		
समस्याक स्तर	**सम्मिलित होमए वला हितधारक**	**व्यवधानक स्तर**
मानसिक स्वस्थता	समग्र संस्थानिक समुदाय	संस्थागत पाठ्यचर्यामे एकीकृत मानसिक स्वस्थता
मानसिक सवास्थ्यक ज्ञान अभिवृत्ति आ व्यवहार	सभ छात्र एवं शिक्षक	मानसिक स्वास्थ्य-सामान्य स्वास्थ्य पाठ्यचर्यामे शामिल
मनोसामाजिक समस्या सभ	परामर्शदाता ,शिक्षक, दक्ष परामर्शदाता, संरक्षक एवं नागरिक	जरूरतमंद छात्र लोकनिकैँ अतिरिक्त सहायता प्रदान करब
गंभीर समस्या/विकार	परामर्शदाता, संस्थानिक चिकित्सक एवं अन्य विशेषज्ञ	व्यावसायिक प्रबंधन

12. समावेशिता एवं अभिगम्यता

(i) कोचिंग संस्थान प्रवेश आ शिक्षण प्रक्रियाक दौरान कोनो आवेदक/छात्रक संग धर्म ,नस्ल ,जाति, लिंग, जन्म-स्थान, वंश आदिक आधार पर भेदभाव नहि करत।

(ii) कोचिंग संस्थान द्वारा बेसी प्रतिनिधित्व वला कमजोर समुदाय जेना महिला, दिव्यांग आ सीमांत समूहक छात्र लोकनिक प्रोत्साहन लेल विशेष प्रावधान कएल जा सकैछ।

(iii) कोचिंग संस्थानक भवन आ लगपासक परिसर दिव्यांग लोकनिक हेतु अनुकूल होएत आ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केर प्रावधानक अनुरूप होएत।

(iv) शिक्षक लोकनिकैँ अधिगम अक्षमताक प्रति संवेदनशील बनाओल जाए जाहिसँ अधिगम अक्षमता वला छात्र लोकनिकैँ सहज महसूस कराओल जा सकए।

(v) जतए धरि संभव भ' सकए, दिव्यांगानुकूल प्रावधान जेना ब्रेल, ई-रीडर आ शौचालय आदिक निर्माण कएल जा सकैछ।

(vi) ओहि दिव्यांग छात्र लोकनिक हेतु सहायक कक्षा प्रदान कएल जा सकैत अछि जिनका अपन शिक्षामे अतिरिक्त सहायताक आवश्यकता होमए।

(vii) शैक्षणिक प्रदर्शनक आधार पर बैच केर पृथक्करण नहि कएल जाएत, किएक तँ एहिसँ छात्र लोकनि पर अत्यधिक दबाव आ ओकर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ैत अछि। छात्रक प्रवेश/प्रवेश केर क्रममे बैचक गठन कएल जएबाक चाही आ पाठ्यक्रम पूर्ण हेबा धरि बैच बदलल नहि जाएत।

13. अभिलेखक अनुरक्षण

(i) कोचिंग संस्थानकेँ एहन अभिलेख, खाता, रजिस्टर वा आन दस्तावेजकेँ तैयार एवं अनुरक्षित करएबाक चाही, जे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित कएल जा सकैत अछि।

(ii) कोचिंग संस्थान रिकार्ड हेतु सक्षम प्राधिकारीकेँ वार्षिक रिपोर्ट जमा कए सकैत अछि।

14. कोचिंग संस्थानक स्थानांतरण पर प्रतिबंध

कोचिंग संस्थानकेँ अपन पंजीकरण प्रमामपत्रमे उल्लिखित स्थान पर सैह कक्षा संचालित करबाक होएत एवं सक्षम प्राधिकारीक लिखित आदेशक बिना अपन पंजीकृत स्थानक अतिरिक्त आन स्थान पर स्थानांतरित नहि कएल जा सकत।

15. कोचिंग संस्थानक गतिविधि सभक जाँच

सक्षम प्राधिकारी, वा संबंधित सरकार द्वारा अधिकृत कोनो आन अधिकारी कोचिंग संस्थानक गतिविधिक सतत निगरानी करत आ कोनहुँ कोचिंग संस्थानसँ पंजीकरण संबंधी आवश्यक पात्रताक जाँच आ कोचिंग संस्थानक संतोषजनक गतिविधिक संबंधमे पूछताछ करत।

16. शिकायतक निस्तारण

(i) कोचिंग संस्थानक विरुद्ध छात्र, अभिभावक वा शिक्षक/कर्मचारी द्वारा आ कोचिंग संस्थान द्वारा छात्र/अभिभावक केर विरुद्ध सक्षम प्राधिकारीक समक्ष शिकायत दर्ज कराओल जा सकैत अछि। सक्षम प्राधिकारी वा संबंधित सरकार द्वारा एहि उद्देश्यक लेल गठित जाँच समिति एहि शिकायतक निपटान तीस दिनक भीतर कएल जाएत।

(ii) सक्षम प्राधिकारी वा एहि मामिलाक लेल गठित जाँच समितिक रिपोर्ट पर सुनवाई केर बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा जुर्माना वा पंजीकरण रद्द करबाक कार्रवाई कएल जाएत।

17. दंड

(1) सक्षम प्राधिकारी लग सिविल न्यायालयक शक्ति होएत। सक्षम प्राधिकारी लग कोनो मोकदमा पर विचार करबाक लेल एहन शक्ति होएत जे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 केर केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) केर तहत अदालतमे निहित अछि:-

   (i) शपथ-पत्रक माध्यमसँ सबूतक संग साक्ष्य स्वीकार करब;

   (ii) कोनो व्यक्तिकेँ बजाएब एवं ओकर उपस्थिति सुनिश्चित करब आ शपथ-पत्रक अनुसार ओकर जाँच करब;

   (iii) अभिलेख तैयार करबा हेतु बाध्य करब; आ

   (iv) खर्च अधिनिर्णीत करब।

(2) पंजीकरण वा सामान्य नियम एवं शर्त्तक उल्लंघनक मामिलामे, कोचिंग संस्थान निम्नानुसार दंडक भागी होएत:

   (i) पहिल अवमानना पर रु. 25,000/-

(ii) दोसर अवमानना पर रु.1,00,000/-

(iii) लगातार अवमानना पर पंजीकरण रद्द करब।

18. पंजीकरणक रद्दकरण

जँ संबंधित प्राधिकारीकेँ एहन प्रतीत होइत छनि जे कोचिंग संस्थान कोनो एहन प्रावधान वा दिशानिर्देशक उल्लंघन केने अछि जे ओकरा पंजीकरण करबा काल दिशानिर्देशित कएल गेल छल वा ओ कोनहुँ नियम वा शर्तक प्रतिकूल अछि तँ ओकर पंजीकरण प्रमाणपत्र कोनहुँ समय रद्द कए देल जाएत:

जखन कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एहन प्रमाणपत्र धारककेँ प्रस्तावित आदेशक विरुद्ध कारण बतएबाक उचित अवसर देने बिना एहन आदेश पारित नहि कएल जाएत।

19. पुनर्विचार प्रक्रिया

कोनो कोचिंग संस्थानकेँ पंजीकृत करबासँ इनकार करबा वा नवीकरण वा पंजीकरण रद्द करबाक आदेशसँ असंतुष्ट कोनो व्यक्ति, एहन आदेशक प्राप्तिक तिथिसँ तीस दिनक भीतर, संबंधित सरकारक अपीलीय प्राधिकारीक समक्ष उचित माध्यमसँ अपील कए सकैत अछि।

*****